

18.11.2026

बहुलाए फरिडैन उपस्थित/PC माहए इमए
पत्रावली नम्बर 29.1.2026

29.1.2026 बहुलाए फरिडैन उपस्थित/ उतिवारी सं. 19, 21

मे निवेदन किया कि उतिवारी 19, 21 का एक हिस्सा
पुलिस स्टेशन पर वापस ली जाया है जो एक
उतिवारीगण को भेज देतनाज नहीं है। पत्रावली में
वाणी काए उल्लेख उर्ध्व पत्र बोर्ड 22 नियम 4 का
पर उतिवारीगण काए भेज-आपति जाहिए नहीं की
गई उर्ध्व पत्र स्वीकार किया जाकर उति. सं. 1 के स्थान
पर मुताबिक उर्ध्व पत्र उति. सं. 1 के वाणीगण को
पक्षकार बनाया गया जिन्ही तर्फ से उर्ध्व उर्ध्व पत्रावली
हाजिए आये तथा जकार उर्ध्व में भेज होत है काए/ जकार
नहीं देना चाहते। पत्रावली में उर्ध्व पक्षकार का जकार/
इकवाल उर्ध्व हो चुका है। काए के वाणी उतिवारी करवाना
नहीं चाहते। पत्रावली वास्ते सहस डा. 22 तान 05/2/26
को भेज हो।

o "

उतिवारी
19 उर्ध्व
9 उर्ध्व
सं. 21
सं. (कोल)
का उर्ध्व
पत्रावली
के 1/5
हिस्सा में
1/9-1/9
हिस्सा में
उर्ध्व का
0.073 है
उर्ध्व
उर्ध्व पत्र
उर्ध्व
उर्ध्व
उर्ध्व

इ.प.ता.प.
050

o "

05/2/2026 बहुलाए फरिडैन उपस्थित/ सहस पुनी गई /
पत्रावली का निबन्धन किया गया। पत्रावली पर उपबन्ध
रिपोर्ट व आपसी सहमति के आधार पर वापस ली
आयित्तु ली जाया जाता है। उर्ध्व नियम 4 के
नियम दलक से लिखाया जाकर आयित्तु ली जाया
जाकर पत्रावली नम्बर से उर्ध्व की जाकर उर्ध्व
दस्तावेज हो।

o "

